संख्या-383/2025/273के-2/22-3-2025-17(969)/19

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रोहताश पुत्र श्री किशना, निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार के पत्र संख्या-4736/प्रो0अनु0(2)-287/2025/(बैठक दिनांक 30.01.2025), दिनांक 03.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रोहताश (बंदी संख्या-20409) पुत्र श्री किशना, जो अनाज मंडी, हस्तिनापुर, थाना-हस्तिनापुर, जनपद-मेरठ का निवासी है। गुर्जर एवं जाटव समुदाय का आपसी विवाद के कारण गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा दिनांक 05/06-01-1997 को जाटव समुदाय के 06 लोगों की हत्या कर दी। रोहताश भी जाटव समाज से है। रोहताश एवं उसके जाटव समुदाय के साथियों द्वारा बदला लेने के इरादे से दिनांक 16/17-01-1997 की रात्रि में गुर्जर समुदाय के लोगों पर हमला किया, जिसमें गुर्जर समुदाय के 06 लोगों की हत्या करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-647/97 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 21.04.1999 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30-09-2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10-01-2025 तक बन्दी की आयु **75** वर्ष लगभग है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने एवं बंदी हिस्ट्रीशीटर होने के कारण थाना-हाजा व जनपद में काफी अभियोग पंजीकृत होने के कारण समयपूर्व रिहाई होने पर डराने धमकाने व दोनों पक्षों में रंजिश उत्पन्न होकर गम्भीर घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने के कारण बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत दिनांक **28.0**1.202**5** द्वारा उक्त बंदी को मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित आजीवन कारावास के सम्बन्ध में समयपूर्व रिहाई करना उचित नहीं बताया गया है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा हत्या का अपराध कारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा अपने अभिमत में बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है, जिससे स्पष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

है कि बंदी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की आख्या/संस्तुति एवं मा0 दण्डन न्यायालय के अभिमत के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुए बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व बंदी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातारण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सीआर0पी0सी0 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रोहताश पुत्र श्री किशना को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रोहताश (बंदी संख्या-20409) पुत्र श्री किशना, निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-273(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in